मूल वाद में अंतिम डिक्री

(आदेश 20 नियम 6, 7 जा,दी.)

न्यायालय सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस. सहायक कलक्टर बड़ीसादड़ी

प्रकरण सं. 83/2020 वादपत्र धारा 88, 188 आर.टी.एक्ट.

1– पुष्कर पिता शंभुलाल मेनारिया नि. महुड़ा तह. बडीसादडी

——वादी

बनाम

1– किशनलाल पिता प्रताप नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
2– संतोष पिता प्रताप नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
3– सम्पत पिता प्रताप नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
4– सुरेश पिता प्रताप नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
5– हुक्मीचंद पिता गोर्धन नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
6– कैलाश पिता गोर्धन नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
7– विष्णुशंकर पिता गोर्धन नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
8– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वादी की ओर से वकील श्री एस.एम. माजिद तथा प्रतिवादीगण ओर से Exparte की उपस्थिति में यह वाद आज दिनांक को अधोहस्ताक्षरकर्ता के समक्ष अंतिम डिक्री के लिए पेश होने पर आदेश दिया जाता है कि मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी की उक्त प्रकरण संख्या से संबंधित वादग्रस्त आराजीयात का दावा सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

इस वाद के खर्चे.....X..... प्रतिशत प्रतिवर्ष की दर से ब्याज सहित.....X..... को दी जावे।
यह आज दिनांक 05.06.2025 को मेरे हस्ताक्षर व मोहर अदालत से जारी की गयी।

मोहर

(प्रवीण कुमार मीणा)RAS
आर.ए.एस
सहायक कलक्टर बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

न्यायालय सहायक कलक्टर बडीसादडी

पीठासीन अधिकारी :– श्री प्रवीण कुमार मीणा आर.ए.एस

प्रकरण संख्या :– 83/2020 ई.रे.

1– पुष्कर पिता शंभुलाल मेनारिया नि. महुड़ा तह. बडीसादडी

—–वादी

बनाम

1– किशनलाल पिता प्रताप नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
2– संतोष पिता प्रताप नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
3– सम्पत पिता प्रताप नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
4– सुरेश पिता प्रताप नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
5– हुक्मीचंद पिता गोर्धन नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
6– कैलाश पिता गोर्धन नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
7– विष्णुशंकर पिता गोर्धन नागदा ब्राहमण नि. बांसी तह. बडीसादडी
8– भूमिधारी तहसीलदार बडीसादडी

—प्रतिवादीगण

वाद पत्र अर्न्तगत धारा 88, 188 रा0टै0एक्ट

// निर्णय // दिनांक :– 05/06/2025

वादी की और से प्रस्तुत वाद के संक्षिप्त तथ्य इस प्रकार हैं कि मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी की खाता संख्या नयी 429 पुरानी 407 के अन्तर्गत आराजीयात खसरा नं. 1376 रकबा 1.9400 है. बंजर 3, कुल खसरा 1 कुल रकबा 1.9400 है. वादी पुष्कर के अकेले के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड होकर कब्जे काश्त में है जिसे दावे में सुविधा की दृष्टि से वादग्रस्त आराजीयात के नाम से संबांधित किया जावेगा। उक्त आराजीयात के पुराने आराजी नं. 704/2 रकबा 9 बीघा दर्ज रिकॉर्ड था। इसी आराजीयात के पास पूर्व दिशा में प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी एवं कब्जेकाश्त की आराजीयात खाता सं. नया 76 पुराना 75 आराजी नं. 180 रकबा 0.0100 है. आराजी नं. 181 रकबा 0.3900 है. आराजी नं. 1378 रकबा 1.9400 है. कुल खसरा 2 कुल रकबा 2.3400 है. स्थित है। वादग्रस्त आराजीयात वादी के अकेले के खातेदारी में दर्ज रिकॉर्ड होकर कब्जे काश्त में है और वादी का उक्त आराजीयात में सड़क के किनारे उत्तर से दक्षिण कब्जा है और प्रतिवादीगण का सड़क के बाद वादी की आराजी और वादी की आराजी के पूर्व दिशा में कब्जा है। प्रतिवादीगण के खातेदारी की आराजी नं. 1378 का रकबा [illegible] है. होने से वादी एवं प्रतिवादीगण का रकबा मिलता जुलता होने से राजस्व कर्म[illegible] प्रतिवादीगण का हिस्सा पूर्व से पश्चिम दर्शा दिया गया जो कि वादी दुरूस्त [illegible] कराये जाने का अधिकारी है। यह कि वर्तमान में सेटलमेंट में हुई गलती की वजह से वादी की आराजी के साथ प्रतिवादीगण की आराजी नं. 1378 को भी सड़क के किनारे पूर्व से पश्चिम दिशा में नक्शे में तरमीम कर दर्शा दिया गया है जो कि गलत है। उक्त स्थान पर वादी का कब्जा है परन्तु सेटलमेंट में लापरवाही की वजह से मौके पर कब्जे अनुसार नक्शे में

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

तरमीम नहीं किया गया और राजस्व कर्मचारियों की गलती से पूर्व से पश्चिम दिशा में तरमीम कर दिया गया जो कि वादी दुरस्त कराने की घोषणा कराने का अधिकारी है। वादग्रस्त आराजीयात वादी ने गिरेश्वर सिंह पिता तेजसिंह शक्तावत निवासी बांसी से कय की थी तथा गिरेश्वरसिंह ने उक्त आराजीयात रामसिंह पिता दोलतसिंह राजपूत से कय की थी। वादी से पूर्व के दोनों खातेदारों के समय भी वादग्रस्त आराजीयात पर सड़क के किनारे उत्तर से दक्षिण दिशा में ही वादी तथा वादग्रस्त आराजीयात के पूर्व खातेदारों का कब्जा चला आ रहा है और सड़क के बाद वादी की आराजी व उसके बाद वादी की आराजी को पूर्वी दिशा में प्रतिवादीगण की आराजीयात स्थित है। वादी के खातेदारी एवं कब्जे काश्त की आराजी पर मौके पर चर खोद रखी है और वादी शांतिपूर्वक काबिज है। परन्तु सेटलमेंट अधिकारियों द्वारा नक्शे में गलत तरमीम कर देने से प्रतिवादीगण की खातेदारी की आराजी नं. 1378 को पूर्व से पश्चिम सड़क के किनारे अंकित कर दिया गया है जिस कारण प्रतिवादीगण आये दिन वादी के कब्जे काश्त में दखलअंदाजी करते है। इसलिये वादी प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद कराये जाने के अधिकारी है कि वे वादी के कब्जे काश्त में किसी प्रकार की दखलअंदाजी न करें न करावें। वादी के कब्जे काश्त की आराजी नं. 1376 रकबा 1.94 है. भूमि का वर्तमान सेटलमेंट अनुसार नक्शे में लम्बाई पूर्व से पश्चिम तरमीम की गयी है जबकि मौके पर वादी का कब्जा लम्बाई रोड के सहारे उत्तर से दक्षिण दर्ज होनी चाहिये जिसे नक्शे में तरमीम किये जाने की घोषणा कराये जाने का वादी अधिकारी है। खातेदार कंकुबाई का देहान्त हो चुका है जिनके वारिसान प्रतिवादीगण है। वादी का दावा मंजूर किया जाकर मौजा बांसी पटवार हल्का बांसी की वादी की खातेदारी की आराजी नं. 1376 एवं प्रतिवादीगण के शामलाती खातेदारी की आराजी नं. 1378 में नक्शे मे तरमीम उनके कब्जे अनुसार करायी जाने की घोषणा की जावे तथा वादी के खातेदारी की आराजीयात को सड़क के किनारे उत्तर से दक्षिण दिशा में नक्शे में तरमीम की जाने की घोषणा फरमायी जावें तथा इसी अनुसार राजस्व रिकॉर्ड के नक्शे में तरमीम कर अंकन किया जावें। प्रतिवादीगण को इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद फरमाया जावे कि वे वादग्रस्त आराजीयात पर वादी के कब्जे काश्त में किसी तरह की कोई दखलअंदाली न करें न करावें।

प्रकरण बाद जांच दर्ज रजिस्टर किया गया । प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन से तलब किया गया । दिनांक 28.08.2023 को प्रतिवादीगण बावजूद सूचना के अनुपस्थित रहने से एकतरफा कार्यवाही अमल में लायी गई । एकतरफा कार्यवाही अमल में लाने से तनकीयात कायम नहीं की गई और पत्रवाली साक्ष्यवादी में नियत की गई । साक्ष्यवादी में हरिश, रामेश्वर, प्रवीण, पुष्कर के शपथ पत्र पेश हुये। वस्तुस्थिति की रिपॉर्ट जानने के लिए तहसीलदार बडीसादडी को तहरीर जारी की गई। दिनांक 20.02.2024 को तहसीलदार बडीसादडी से प्राप्त रिपोर्ट अनुसार ग्राम बांसी की आराजी नम्बर 1376 रकबा 1.94 हैक्ट. जो कि पुष्कर पिता शम्भूलाल मेनारिया निवासी महुड़ा की खातेदारी स्थित है। उक्त आराजी के साबिक नम्बर 704/2 रकबा 9 बिघा दर्ज रिकॉर्ड था पुराने नक्शे में तरमीम की हुई मौजुद नहीं है। वर्तमान नक्शे में उक्त आराजी 1376 रकबा 1.94 हैक्ट. बांसी से धरीयावाद सड़क किनारे पूर्वी दिशा मे दर्ज की हुई है। जिसकी लम्बाई पूर्व से पश्चिम है। मौके पर खातेदार पुष्कर मेनारिया का कब्जा सड़क के किनारे–किनारे उत्तर से दक्षिण की ओर है। जहां मौके पर खाई लगी हुई है। मौके पर आराजी पड़त मंगरी है। जहां कृषि नहीं होती है। खातेदार कब्जे के आधार पर आराजी नम्बर 1376 की तरमीम नक्शा शुद्धि करवाना चाहता है।

Signature Not Verified
Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested

वकील वादी की एकपक्षीय बहस सुनी गई। पत्रावली का अवलोकन किया गया। वादी का वाद मुख्यतः प्रतिकूल कब्जे के आधार पर है। राजस्थान काश्तकारी कानून, [illegible] में प्रतिकूल कब्जे (कब्जा मुखालफाना) (Adverse passession) के आधार पर खातेदारी [illegible] है। वकील वादी साक्ष्य में दस्तावेज पेश करने मे असफल रहा है। माननीय न्यायालय राजस्व मंडल राजस्थान, अजमेर के दृष्टान्त अपील डिक्री/टीए/593/2020/उदयपुर उनवान मृतक कूका जरिये वारिसान बनाम सरकार में खण्डपीठ श्री

सहायक कलेक्टर
बड़ीसादड़ी (चित्तौड़गढ़)

राजेश्वर सिंह माननीय अध्यक्ष एवं श्री सुरेन्द्र माहेश्वरी माननीय सदस्य ने निर्णय दिया है कि वादी का वाद का मुख्य आधार प्रतिकूल कब्जा है जबकि नवीनतम न्यायिक नजीरों के अनुसार काश्तकारी कानून में प्रतिकूल कब्जे के आधार पर खातेदारी देय नहीं है। प्रस्तुत प्रकरण में भी ऐसी ही परिस्थितियां है। अतः दावा सारहीन होने से खारिज किया जाता है।

निर्णय आज दिनांक 05/06/2025 को सरे इजलास लिखाया जाकर खुले न्यायालय में सुनाया गया।

(प्रवीण कुमार मीणा)
सहायक कलक्टर
बडीसादडी

Signature Not Verified

Digitally signed by Praveen Kumar Meena
Date: 2025.07.30 12:03:13 IST
Reason: SelfAttested